>

Title: Need to rationalize the new LPG policy, provide adequate LPG connections and subsidized cyclinders to families and social organizations receiving Government aid.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): मैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । वर्तमान में देशभर में लगातार बढ़ रही महंगाई एवं गैस सिलेण्डरों की बढ़ती हुई कीमतों से आम आदमी त्रस्त है । इस महंगाई के दौर में सरकार द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के संबंध में रियायती दर पर साल में केवल 6 (छः) एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों तथा एक परिवार एक गैस कनेक्शन की बनाई गई वर्तमान नई नीति आम आदमी, संयुक्त रहने वाले परिवारों के साथ-साथ गृहणियों पर किया जा रहा प्रहार है । मैं बताना चाहूंगी कि हम भारत जैसे संस्कारवान देश में रहते हैं और हमारे यहां संयुक्त परिवार की परंपरा रही है । घर के सभी सदस्य चाहे वो चार भाई क्यों न हो, एक ही घर में रहते हैं । उन परिवारों का खाना भी एकत्र बनाया जाता है । उन परिवारों को टिकाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए । ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने आए हैं जिसमें एक बड़े भवन में जिसका एक ही नंबर है जिसमें अनेक परिवार निवास करते हैं तथा उनके निवास स्थान का पता भी एक ही हो जाता है । सरकार द्वारा वर्तमान एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के संबंध में बनाई गई इस नई नीति के कारण ऐसे परिवारों के एक ही पते पर अनेक कनेक्शन दर्शाते हुए उनके गैस कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं । इंदौर में ही ऐसे एक भवन में करीब 50 अलग-अलग परिवार निवास करते होने से उन्हें भी इस समस्या को झेलना पड़ रहा है तथा संबंधित कंपनियों को यह स्थिति स्पष्ट करने के उपरांत भी तेल कंपनियां तथा उनके वितरक उन परिवारों की किसी भी प्रकार से सहायता करने को तैयार नहीं है । मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे साल मे रियायती दर पर 6 गैस सिलेण्डरों एवं एक परिवार एक गैस कनेक्शन की बनाई गई नीति/ियमों में जल्द से जल्द बदलाव/परिवर्तन करें एवं साल में रियायती दर के गैस सिलेण्डरों की संख्या को भी बढ़ाया जाए ताकि भविष्य में देशभर में रह रही गृहणियों, आम आदमी एवं संयुक्त रह रहे परिवार को संकटों का सामना न करना पड़े । मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि महोदया देश के विभिन्न भागों में चलाए जा रहे अनाथालय, वृद्धा आश्रम जैसी कई सामाजिक संस्थाएं जो अनुदान पर चलाई जाती है जिसमें हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं । उन संस्थाओं के लिए रियायती दरों के सिलेण्डरों हेतु अलग नियम बनाए जावे जिससे इन संस्थाओं को साल में रियायती दरों पर ज्यादा से ज्यादा सिलेण्डर उपलब्ध हो सके ।